22nd May, 2026

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai- 400 051** **NSE Symbol: HAVELLS**	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street **Mumbai- 400 001** **Scrip Code: 517354**

<u>Sub: Newspaper Clippings – Economic Times & Jansatta</u>

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 21st May, 2026 where a Notice has been published by Company after completion of despatch i.e. sending of emails of Notice of the next AGM of the Company together with the Integrated Annual Report.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
for **Havells India Limited**

SANJAY KUMAR GUPTA
Digitally signed by SANJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.05.22 11:04:21 +05'30'

(Sanjay Kumar Gupta)
Company Secretary

Encl: As above

AFTER RIL, PARTNERS TELL COURT THEY WOULD WRITE TO GOVT...

KG Basin Case: SC Refuses to Pause Hearing for 'Mediation'

Indu Bhan

New Delhi: Reliance Industries and its two foreign partners— UK-based BP Exploration (Alpha) and Niko Resources of Canada— on Wednesday told the Supreme Court that they would be writing to the government to resolve the Krishna-Godavari basin gas migration dispute through mediation.

The three companies wanted a bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M Pancholi to stop the hearing in the case till the mediation is over as they wanted "attempt mediation" for deciding the case.

However, Attorney General R Venkataramani, appearing for the government, opposed the request and asked the apex court to continue with the hearing.

"If, in the meantime, anything will happen, we will inform the court," the AG said.

The bench also declined the joint request, saying "if you come with a successful mediation, wonderful. We will dispose of the matter then."

The SC has since Tuesday started final hearing on the three appeals led by Reliance Industries against a February 2025 decision of the Delhi High Court, which set aside a 2018 international arbitration ruling favouring the Mukesh Ambani-owned company in a $1.73-billion dispute with ONGC over gas migration in the Krishna Godavari basin.

While setting aside the arbitration award of July 24, 2018, for being contrary to the settled position of law, the HC had accepted the government's plea that Reliance and its foreign partners— UK-based BP Exploration (Alpha) and Niko Resources of Canada—of committing an "insidious fraud" and "unjust enrichment of over $1.729 billion" by siphoning gas from deposits they had no right to exploit.

Peak Power Demand Hits 265.4 GW

New Delhi: India's peak power demand continues to scale fresh highs, touching a record 265.4 GW on Wednesday as heatwave conditions and high temperatures persisted across large parts of the country.

The latest peak surpassed Tuesday's all-time high of 260.5 GW recorded during solar hours. The latest demand levels have already crossed last summer's record peak of 243 GW, and even those recorded during the evening. The peak demand recorded is inching closer to the projected 271 GW for the season.

Most of the peak consumption was met by thermal power contributing 61.2%, solar energy came next with 21.5%, wind and hydro contributed over 6% each, while nuclear contributed 2.6%, among contributions from other sources, an industry official said.

According to a person familiar with the matter, the power ministry has prepared and ensured available capacity to meet peak demand of up to 280 GW.

A power ministry statement issued after Monday's peak demand touched 257.37 GW said the country has adequate electricity availability. **Our Bureau**

offcom We Care

VERTIV

- UPS Systems
- Energy Storage: Lead Acid & Li-ion Batteries
- Energy & Power Audits
- Harmonic & PF Correction Filters
- Transformers & Stabilizers
- Green Energy Solutions

- Data Centers (E & M Infra)
- Precision Air Conditioning for Data Centres; Server, UPS & Panel Rooms
- Smart Cool Racks/Cabinets
- Intelligent PDUs & DCIM

Our Key Customers

SONY, GOODYEAR, LG, Amway, orange, JAYPEE GROUP, asianpaints, Canon

OFFCOM SYSTEMS PVT. LTD.

Phone: 9811205605, 9873443571
E-mail: sales@offcomindia.com, we.care@offcomindia.com.
Branches: Mumbai, J&K, Chandigarh, Bhopal, Lucknow, Dehradun, Kolkata.
Website: www.offcomindia.com

HAVELLS

HAVELLS INDIA LIMITED
Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Corporate Off. : QRG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida - 201 304
Tel. # 0120-3331000, **Fax** # 0120-3332000, **web:** www.havells.com
Email: investors@havells.com, **CIN** - L31900DL1983PLC016304

NOTICE

(A) Notice is hereby given that the 43rd AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 19th June, 2026, Friday at 2:00 p.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2023 09/2024 and 03/2025 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. Company's Registered Office i.e. 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, KG Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001 will be considered as venue for the purpose of the AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Integrated Annual Report for the Financial Year 2025-26 have already been emailed to all shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company. The emailing of all Notices has been completed on 15th May, 2026. For all those shareholders who have not so registered, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available, as well as a QR Code, has been sent on 18th May, 2026, at their address registered with the Company or as available from the data downloaded from the depositories.

(B) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means and the businesses may be transacted through such voting. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM, for those Members who have not already cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed Balika Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4816, COP No. 3222), as Scrutinizer for conducting the voting in a fair and transparent manner.

a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 12th June, 2026, may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th June, 2026 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.com or investors@havells.com by mentioning his/ her Folio No./ DP ID and Client ID No. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

b) The remote e-voting period commences on Tuesday, 16th June, 2026 (8:30 am) and ends on Thursday, 18th June, 2026 (5:00 pm). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

c) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

d) The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the Members participating in the AGM through VC/ OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.

e) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.

g) Members may note that the Notice of the 43rd Annual General Meeting and the Integrated Annual Report for FY 2025-26 are also available on the Company's website www.havells.com, the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com as well as on the websites of the stock exchanges, namely, NSE & BSE and can be made available for inspection by writing to the Company at investors@havells.com

h) Members may contact Shri Sanjay Kumar Gupta, Company Secretary, for any grievances connected with voting by electronic means at the Corporate Office of the Company at Tel.+91-120-3331000; Email: investors@havells.com

For Havells India Limited
Sd/-
Sanjay Kumar Gupta
Company Secretary

Scan QR Code for 43rd Annual Report

Noida, May 20, 2026

IOL

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH 2026

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
		31.03.2026 (Refer Note 3)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Refer Note 3)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Refer Note 3)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Refer Note 3)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations	621.19	585.68	532.30	2,340.34	2,101.61	621.29	585.68	532.31	2,340.44	2,101.62
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	70.83	38.76	44.90	195.65	137.89	70.81	38.76	44.70	195.57	137.96
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	70.83	27.55	44.90	184.44	137.89	70.81	27.55	44.70	184.36	137.96
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	53.18	20.58	31.62	137.72	101.00	53.16	20.58	31.42	137.64	101.07
5	Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	55.89	20.72	31.64	140.32	99.56	55.87	20.72	31.44	140.24	99.63
6	Equity share capital	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserve)	1,739.67	1,713.13	1,628.70	1,739.67	1,628.70	1,739.84	1,713.32	1,628.95	1,739.84	1,628.95
8	Earning per equity share of ₹2/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualised except for the year ended 31-Mar-2026 & 31-Mar-2025) Basic and Diluted ₹	1.81	0.70	1.08	4.69	3.44	1.81	0.70	1.07	4.69	3.44

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31stMarch 2026filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results is available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com&www.nseindia.com and on the Company's website www.iolcp.com.
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 20th May 2026.
3. The figures for the quarter ended 31st March 2026 and 31st March 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year-to-date figures up to the third quarter of the respective financial years, which were subjected to limited review.

The financial results can be accessed by scanning the QR Code:

For IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Vikas Gupta
Joint Managing Director
DIN: 07198109

Place: Ludhiana
Date: 20th May 2026

Regd Office: Village & Post Office Handiaya, Fatehgarh Channa Road, Barnala-148107, Punjab
Corporate Office: 85, Industrial Area 'A', Ludhiana-141003 (Punjab)
CIN: L24116PB1986PLC007030, Tel: +91-161-2225531-35, E-mail: contact@iolcp.com, www.iolcp.com

PI Industries Limited

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(In ₹ Million)

PARTICULARS	CONSOLIDATED				
	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	**16,408**	**14,424**	**18,605**	**70,244**	**83,220**
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)	**3,373**	**3,027**	**4,569**	**17,053**	**21,833**
Profit before exceptional items and tax	3,025	2,578	4,322	15,930	21,420
Exceptional items gain/(loss)	(20)	1,051	-	1,031	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	**3,005**	**3,629**	**4,322**	**16,961**	**21,420**
Profit after tax (PAT)	**2,002**	**3,113**	**3,305**	**13,208**	**16,602**
Total Comprehensive Income	1,596	3,191	3,782	13,004	16,497
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 1/- each)	152	152	152	152	152
Total Reserves as at year ended March 31				112,153	101,418
Earning per Share*					
Basic (₹)	13.20	20.52	21.79	87.06	109.44
Diluted (₹)	13.20	20.52	21.78	87.06	109.42
PARTICULARS	**STANDALONE**				
Total Income from Operations	**14,625**	**13,459**	**17,164**	**64,904**	**78,718**
Profit before exceptional items and tax	3,696	3,655	5,058	19,312	23,957
Exceptional items gain/(loss)	(1,117)	(206)	-	(1,323)	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	2,579	3,449	5,058	17,989	23,957
Profit after tax (PAT)	**1,978**	**2,816**	**3,858**	**14,348**	**18,665**

* Actual for the quarter, not annualised.

Note

1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and the Company's website (www.piindustries.com).
2. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Company and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 19, 2026.
3. The Board of Directors at their meeting held on May 19, 2026 have recommended final dividend of ₹10 per equity share, subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. With this, total dividend for the year (including interim dividend of ₹5 per equity share paid during the year) is ₹15 per share.

Place : Mumbai
Date : May 19, 2026
Regd. Office : Udaisagar Road, Udaipur - 313001 (Rajasthan)
Phone : 0294 6651100 Fax: 0294 2491946
CIN : L24211RJ1946PLC000469

For PI Industries Limited
Sd/-
Mayank Singhal
Vice Chairperson & Managing Director
DIN : 00006651

दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को बरी किया, कहा

पुलिस के गवाहों पर भरोसा करना खतरनाक

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में दो पुलिसकर्मियों की गवाही पर भरोसा करना 'खतरनाक' होगा, क्योंकि उनके बयान जांच रिकार्ड और अन्य सबूतों से मेल नहीं खाते और उनमें विरोधाभास है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह करावल नगर में दंगों के दौरान एक आटो-रिक्शा को कथित रूप से जलाने और एक दुकान में तोड़फोड़ कर उसे आग लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में सुमित कुमार, अनुज, राहुल और सचिन आरोपी थे। अदालत द्वारा 19 मई को जारी आदेश में कहा गया, 'मैं पाता हूं कि गवाह संख्या छह और सात (पुलिस अधिकारी) विश्वसनीय गवाह नहीं हैं और उनकी गवाही पर भरोसा करके अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन का निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा। इसलिए मैं पाता हूं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।' अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता वाजिद ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी, 2020 को दंगाइयों ने उसकी आटो-रिक्शा में आग लगा दी थी, जबकि एक अन्य शिकायतकर्ता शमशाद ने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर उसे जला दिया था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई थी और मुख्य रूप से पुलिस कर्मियों हेड कांस्टेबल मिथिलेश और सहायक उप-निरीक्ष जुनैद की गवाही पर भरोसा किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भीड़ को एक आटो चालक पर हमला करते तथा वाहन और दुकान में आग लगाते हुए देखा था। इस संबंध में करावल नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हालांकि, अदालत ने सबूतों में गंभीर विसंगतियां पाईं। साथ ही शिकायतकर्ता वाजिद को सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया जा सका।

अदालत के अनुसार, शमशाद ने कहा था कि उसकी गैर-मौजूदगी में उसकी दुकान में घटना हुई थी और वह दंगे या आगजनी में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि जहां पुलिस गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने करावल नगर चौक पर आटो को जलते हुए देखा था, वहीं जांच रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना का वास्तविक स्थान वहां से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पुश्ता रोड पर था।

सुप्रीम कोर्ट दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों की उन जमानत याचिकाओं पर 22 मई को सुनवाई की जाएगी, जिनमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है।

धुरंधर में सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखाने का आरोप

हाई कोर्ट ने केंद्र और सेंसर बोर्ड से विचार करने को कहा

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म धुरंधरः द रिवेंज में देश की खुफिया और रक्षा अभियानों से संबंधित सामरिक और संवेदनशील जानकारी के खुलासे को लेकर चिंताओं से संबंधित जनहित याचिका को अभ्यावेदन के रूप में मानते हुए केंद्र और सेंसर बोर्ड से विचार करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कर्मी हैं, द्वारा जनहित याचिका में उठाई गई चिंता निराधार नहीं है। पीठ ने कहा कि फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सेंसर बोर्ड के पास कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस अभ्यावेदन पर विचार करें और सोच विचारकर निर्णय लें। पीठ ने कहा, अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और उनका उचित समाधान होना चाहिए। हम इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) इस याचिका को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के रूप में मानकर उसमें उठाए गए मुद्दों पर उचित निर्णय लें। अदालत ने अधिकारियों से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अपने निर्णय और किसी भी सुधारात्मक उपाय की जानकारी उन्हें देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फिल्म गोपनीयता कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें सामरिक अभियानों, संवेदनशील स्थानों और एजेंट के बारे में जानकारी दी गई है।

एसएसबी जवान से दायर की याचिका।

आप का पंजीकरण निरस्त करने वाली जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में उच्च न्यायालय की कार्यवाही का बहिष्कार करने पर निर्वाचन आयोग को आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण रद्द करने और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल एवं अन्य नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दायर की गई एक जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि सतीश कुमार अग्रवाल की इस याचिका में कोई दम नहीं है और उनका तर्क बहुत ही बेतुका, अत्यधिक भ्रामक और निराधार है। जनहित याचिका में कहा गया है कि चूंकि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने शराब नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष कार्यवाही का बहिष्कार किया, इसलिए इस पार्टी का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए (5) के तहत निरस्त करने लायक है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि धारा 29ए (5) के तहत एक राजनीतिक दल के लिए संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखना जरूरी है लेकिन केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक शराब नीति मामले में पूरी व्यवस्था को कलंकित एवं उसे राजनीतिक रंग देकर संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी संख्या तीन (आप) ने यह स्वीकार किया हो कि उसे संविधान या धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने कहा, दलील पूरी तरह बेतुकी, भ्रामक और निराधार है।

मुख्यमंत्री ने की 'प्रतिभा खोज योजना' की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 मई।

दिल्ली सरकार ने युवाओं की प्रतिभा को खोजने और उसको मंच दिलाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार 'प्रतिभा खोज योजना-हौसलों की उड़ान 2026-27' की घोषणा की है। साथ ही इसके लिए आनलाइन पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल भी लांच कर दिया।

युवाओं को हुनर दिखाने का मौका, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को पहचानने, निखारने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक सशक्त मंच बनेगी। जन सेवा सदन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया।

योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 16 से 35 वर्ष के युवा इस योजना के अंतर्गत बुधवार से डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट दिल्लीटेलेंटहंट डाट काम पर आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के तहत गायन, नृत्य, अभिनय, कविता और मूर्तिकला सहित सात अलग-अलग श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित किया जाएगा।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु-560002
www.canarabank.bank.in

डिपॉजिटरी कारोबार को डीपी आईडी IN-DP-CDSL-398-2007 के तहत मेसर्स सीबीएसएल (डीपी आईडी 12103800) में हस्तांतरित करने संबंधी सूचना

हमारे सभी डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक (ई सिंडिकेट बैंक), सेबी पंजीकरण संख्या IN-DP-CDSL-398-2007, द्वारा डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) कारोबार को केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड – डीपी आईडी 12103800 को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

समनुदेशन की शर्तों के अनुसार, आपके बीओ आईडी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब से आपका खाता मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा परिचालित किया जाएगा। इस संबंध में, डिपॉजिटरी खाताधारकों को दिनांक 06.06.2026 को या उससे पहले निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को लिखित रूप में चयन करने का अधिकार दिया जाता है।

1. केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) के पास मौजूद डीमैट खाता को मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा और हस्तांतरित कर दिया जाएगा। डीपी बीओ समझौते/अधिकार और दायित्व दस्तावेज (आर एंड ओ) में निहित डिपॉजिटरी खाताधारकों के अधिकार और दायित्व पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इसके लिए कोई नया खाता खोलने का फॉर्म जमा करने या किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. इसके अलावा, डिपॉजिटरी खाताधारक अपनी पसंद के किसी भी अन्य डीपी के साथ एक नया डीमैट खाता खोल सकते हैं और केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट) के साथ अपने मौजूदा डीमैट खाते में मौजूद सिक्योरिटीज को नए खाते में हस्तांतरण करके, केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) के साथ अपने मौजूदा डीमैट खाते को बंद कर सकते हैं।

डिपॉजिटरी खाताधारकों से अनुरोध है कि यदि दिनांक 06.06.2026 को या उससे पहले उल्लिखित विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं किया जाता है, तो केनरा बैंक (ई सिंडिकेट बैंक) के साथ मौजूदा खाते का प्रबंधन मेसर्स सीबीएसएल द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 06.06.2026 के बाद, यह माना जाएगा कि डिपॉजिटरी खाताधारक ने समनुदेशन हेतु सहमति दे दी है, और मेसर्स सीबीएसएल व डिपॉजिटरी खाताधारक सांविधिक डीपी-बीओ अधिकार और दायित्व दस्तावेज से बाध्य होंगे और उसका अनुपालन करेंगे।

यदि केनरा बैंक (ई सिंडिकेट बैंक) में रखे गए मौजूदा डीमैट खाता केवाईसी नियमों का पालन नहीं करता है, तो डिपॉजिटरी खाताधारकों को केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। ऐसा न करने पर, डीमैट खाता "डेबिट के लिए फ्रीज" कर दिया जाएगा और खाताधारक उस डीमैट खाते का परिचालन नहीं कर पाएंगे।

बिजली की खपत में बढ़ोतरी, इस वर्ष की सबसे अधिक मांग दर्ज

नई दिल्ली, 20 मई (संवाददाता)।

राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब बिजली की खपत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। आसमान से बरस रही तेज गर्मी के बीच बुधवार को दिल्ली में इस वर्ष की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग दर्ज की गई। दोपहर करीब 3:35 बजे बिजली की मांग बढ़कर 8039 मेगावाट तक पहुंच गई।

राज्य लोड प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले मंगलवार को अधिकतम बिजली मांग 7777 मेगावाट रही, जो देर रात बढ़कर 7841 मेगावाट तक पहुंच गई थी। बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस के प्रवक्ता ने बताया कि बढ़ती मांग के बावजूद राजधानी में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू बनी हुई है।

चक्काजाम से आटो रिक्शा यूनियन के एक गुट ने खुद को अलग किया

नई दिल्ली, 20 मई (संवाददाता)।

बीएस-4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध, परिवहन विभाग की कथित भ्रष्ट नीतियों और ईसीसी (पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क) में भारी बढ़ोतरी के विरोध में टैक्सी मालिकों और चालकों का तीन दिवसीय चक्काजाम गुरुवार से शुरू हो रहा है। हालांकि, आटो-रिक्शा यूनियनों के एक बड़े वर्ग ने इस हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में आटो सेवाएं सामान्य रहने की संभावना है। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति और आल दिल्ली आटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के नेतृत्व में 21, 22 और 23 मई 2026 को प्रस्तावित यह आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। संगठनों का कहना है कि परिवहन विभाग की नीतियां टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों के हितों के खिलाफ हैं, जिससे चालक वर्ग में भारी नाराजगी है।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), हरियाणा, बे नं. 55-58, पर्यटन भवन, सेक्टर-2, पंचकुला, हरियाणा ने अपनी पर्यावरणीय स्वीकृति पहचान संख्या ईसी25बी3813 एचआर5518717एन, दिनांक 19/05/2026 के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर 25ए में 32.36 एकड़ (पहले मॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था) पर स्थित शॉपिंग/कमर्शियल बिल्डिंग का 36.36 एकड़ में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के सहयोग से प्रस्तावित है। आम जनता को आगे सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एसईआईएए, हरियाणा की वेबसाइट (http://www.environmentclearance.nic.in) प्रदर्शित किया गया है। यह सार्वजनिक सूचना ऊपर वर्णित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की विविध शर्त सं. X (i) के अनुपालन में जारी की गई है।

अधिकृत हस्ताक्षरी
मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड
डीएलएफ शापिंग मॉल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग,
डीएलएफ सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 20.05.2026

नियुक्तियां

AMEY FOUNDATIONS
AMEY COLLEGE OF NURSING
(B.Sc Nursing) Proposed
Manere, Ambernath (Thane)

RECRUITMENT NOTIFICATION
Applications are invited from eligible candidates for the following teaching and non-teaching posts for academic year 2026-2027

SR. NO.	POSITION	POSTS
01	Principal	01
02	Assistant Professor	02
03	Nursing Tutor	08
04	Accountant	02

QUALIFICATION, EXPERIENCE & PAY SCALE: As per INC Norms

SCAN THIS QR CODE TO APPLY

Apply through QR Code or Mail us at
ameyfoundation2025@gmail.com
APPLY WITHIN 10 DAYS!
9930827272 | 9930627272

SHIVNIKETAN TRUST'S
SHRI JAGANNATH LAXMIBAI SAKHARAM SHINDE COLLEGE OF PHARMACY (B. PHARMACY)
Khadavli (East), Tal. Kalyan, Dist.: Thane, Pin: 421 605.
(Approved by PCI New Delhi, DTE Mumbai, Govt. of Maharashtra, Affiliated to DBATU, Lonere)

RECRUITMENT NOTIFICATION
Applications are invited from eligible candidates for the following teaching and non-teaching posts for academic year 2026-2027

Sr. No.	Department	Post	No. of Posts
1.	Pharmaceutics	Associate Professor	01
		Assistant Professor	03
2.	Pharmaceutical Chemistry	Associate Professor	01
		Assistant Professor	03
3.	Pharmacology	Associate Professor	01
		Assistant Professor	02
4.	Pharmacognosy	Assistant Professor	01
5.	Librarian	Librarian (M.Lib.)	01
6.	Accountant	Accountant	01
7.	Clerk	Clerk	02
8.	Peon	Peon	02

QUALIFICATION & EXPERIENCE:
Qualification, experience and pay scale as per Government of Maharashtra, DBATU Lonere, and PCI New Delhi norms.

HOW TO APPLY:
Scan QR code or mail us at sjlss2025@gmail.com
Interested candidates should submit their detailed application within 15 days from the date of publication of this advertisement.

99308 27272 | 99306 27272 Sjlsspharmacycollege.com

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड
HAVELLS
रजि. ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001
कॉर्पोरेट ऑफिस: क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304,
फोन: # 0120-3331000, फैक्स: # 0120-3332000, वेब: www.havells.com
ई-मेल: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

नोटिस

(अ) एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (वार्षिक आम बैठक) 19 जून, 2026, शुक्रवार को दोपहर 02:00 बजे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2023 09/2024 और 03/2025 के अनुपालन में और अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जायेगी। सामान्य और विशेष व्यवसायों का लेनदेन नोटिस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 904, 9वीं मंजिल, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को एजीएम के प्रयोजन के लिए स्थल माना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां पहले ही उन सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। सभी नोटिसों की ईमेलिंग 15 मई, 2026 को पूर्ण कर ली गई है। उन सभी शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर या डिपॉजिटरी से डाउनलोड किए गए डेटा के आधार पर उपलब्ध पते पर एक पत्र 18 मई, 2026 को भेजा गया है, जिसमें एग्जेक्ट पाथ सहित वेब-लिंक उपलब्ध है, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, साथ ही एक QR कोड भी भेजा गया है।

(ब) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 की शर्तों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ, कंपनी प्रदान कर रही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और ऐसे वोटिंग के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के दिन बैठक के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी, उन सदस्यों के लिए जिन्होंने पहले भी अपना वोट नहीं डाला है रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट करें। बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए बालिका शर्मा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफसीएस 4816, सीओपी संख्या 3222) को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

अ) कट-ऑफ तिथि यानी 12 जून, 2026 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ऐसे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 12 जून, 2026 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com को ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या investors@havells.com अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करके। हालांकि, यदि आप पहले से ही एनएसडीएल टोर ई-वोटिंग के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं अपना वोट डालने के लिए।

ब) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 16 जून, 2026 (सुबह 8:30 बजे) से शुरू होगा और गुरुवार 18 जून, 2026 (शाम 5:00) को समाप्त हो जायेगा। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

स) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

द) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

य) सदस्य जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन बैठक में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

र) कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्य-रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभ के अधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, बैठक में रिमोट ई-वोटिंग या मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

ल) सदस्य ध्यान दें कि 43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2025-26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट: www.havells.com, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। www.evoting.nsdl.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी अर्थात एनएसई और बीएसई और कंपनी को investors@havells.com पर लिखकर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

व) सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए कंपनी सचिव श्री संजय कुमार गुप्ता, कॉर्पोरेट कार्यालय फोन: +91-120-3331000; ई-मेल: investors@havells.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
संजय कुमार गुप्ता
कंपनी सचिव

43वीं वार्षिक रिपोर्ट के लिए QR कोड स्कैन करें

नोएडा, 20 मई, 2026

कूड़ा निस्तारण अभियान तेज

पांच नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 मई।

दिल्ली सरकार ने पुराने कूड़े के निस्तारण की कवायद को तेज कर दिया है। साथ ही ताजा कूड़े से नई कचरा पट्टी तैयार नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए भी योजना तैयार की है।

इसको लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम मिलकर पांच जगहों पर नए एकीकृत ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जहां पर हर रोज 5,900 मीट्रिक टन ताजा कचरा प्रसंस्करण किया जा सकेगा। इस परियोजना को आगामी दो अक्तूबर से पहले शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की।

मंत्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर ओखला, भलस्वा, गाजीपुर कचरा पट्टियों के अलावा सिंघोला और नरेला-बवाना में कूड़े निस्तारण का काम कर रही है। इन जगहों पर कचरा प्रसंस्करण के बाद पुनः प्राप्त भूमि पर अब सरकार ने 5,900 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले पांच नए एकीकृत ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (आइएफडब्ल्यूपीएफ) स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद यह है कि ताजा कचरे का साथ साथ निस्तारण करना संभव हो सकेगा। राजधानी में कई ऐसी छोटी छोटी जगह भी हैं जहां पर हर रोज कूड़ा डलता है जिसका निस्तारण वहीं पर अलग-अलग माध्यम से किया भी जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ओखला, भलस्वा और गाजीपुर कचरा पट्टी पर अब तक 255.03 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे लगभग 75 एकड़ भूमि पुनः उपयोग योग्य बनाई गई है। पूर्व की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में केवल 21.9 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2025-26 के दौरान ही यह बढ़कर 74.11 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

इसी तरह वर्ष 2022-23 में लगभग 6,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता अब वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है।

रोजाना 5900 मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का लक्ष्य।